भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1086

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल संपरीक्ष योजना

1086. श्री एम. के. राघवन:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोई जल संपरीक्षा योजना प्रचलित है और यदि हां, तो संपरीक्षा हेतु अपनाई गई प्रविधि क्या है और इस संपरीक्षा के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य सम्मिलित हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों की संपरीक्षा की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संपरीक्षा में जल बजट, माप, सिंचित क्षेत्र और अन्य मापदंडों जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रारंभिक सिंचाई कार्यक्रम एक वार्षिक अनुष्ठान के रूप में तैयार किया गया है और यह विश्वसनीय नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सिंचाई और पीने के उद्देश्य हेतु इसे और अधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी बनाने के संबंध में प्रविधि क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय कोई जल लेखा परीक्षा स्कीम कार्यान्वित नहीं करता है। फिर भी, जल राज्य का विषय होने के नाते राज्य सरकारें राज्यों में जल के कुशल उपयोग के लिए कई उपाय करती हैं जिनमें जल लेखा परीक्षा कानूनों का कार्यान्वयन और पेनल कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाती है जो इस मामले में नियमों/विनियमों आदि का उल्लंघन करते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में सहयोग देती है।

केंद्रीय जल आयोग ने "जल लेखा परीक्षा एवं जल संरक्षण हेतु सामान्य दिशा निर्देश" जारी किए थे जिसका उद्देश्य जल प्रयोग के सभी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु जल लेखा परीक्षा प्रणाली को शुरू करना, मानकीकरण करना और लोकप्रिय बनाना तथा जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।

राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में जल फुटप्रिंट जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल उपयोगों का मानकीकरण तैयार करने की एक प्रणाली भी निर्धारित की गई है और यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रभावी जल उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन देने के लिए लेखा परीक्षा विकसित की जानी चाहिए।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य "जल संरक्षण, जल के अपव्यय को कम करना और एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से राज्य में और राज्यों के बीच जल का और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है"। पेयजल प्रयोजनों सहित अनिवार्य लेखा परीक्षा को बढ़ावा देना राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य नीति है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। लेकिन जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन संबंधी निर्माण कार्यों की आयोजना, वित्त पोषण, निष्पादन और रख रखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग के लिए भारत सरकार पीएमकेएसवाई के अंतर्गत जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धा (आरआरआर), सतही लघु सिंचाई आदि जैसी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के स्थायी विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है।

एसएमआई और जल निकायों की आरआरआर स्कीमों की सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, जल उपयोग दक्षता में सुधा , भूमि जल पुनर्भरण, जल निकायों के सुधार और पुनरूद्धार जैसे कई उद्देश्य हैं ताकि टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि और खोई हुई सिंचाई क्षमता की पुनर्बहाली, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि, टैंक कमानों के जल ग्रहण क्षेत्र में सुधार आदि हो सके।

*****